Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सीकर में दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) पुलिस के लिये 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 नवम्बर, रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये महिपाल जाखड़ दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को पुलिस के नाम से परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना चौमूं जिला जयपुर में पकड़ी गई अवैध शराब के मुकदमें की एफआईआर में उसका नाम नहीं आने देने की एवज में अपने परिचित रणवीर के कहने पर महिपाल जाखड़ दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचंद** एवं उनकी टीम द्वारा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल महिपाल जाखड़ पुत्र श्री जगनाराम जाट निवासी दासा की ढ़ाणी, पुलिस थाना उद्योगनगर, सीकर जिला सीकर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी महिपाल जाखड़ द्वारा परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** राशि अपने परिचित आदमी सरपंच उर्फ रामलाल के माध्यम से वसूल कर लिये थे। प्रकरण में **अन्य संदिग्ध दलाल, पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों** की संलिप्तता के बारे में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।